न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/185

1. पुष्पा बेवा नारायण जाति मीणा निवासी बाक्या तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. जसोदा पुत्री नारायण जाति मीणा निवासी बाक्या तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

बनाम

1. सूरजमल आत्मज श्री रामचन्द्र जाति मीणा निवासी गुढागोपाल तहसील नैनवा जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. रामरतन आत्मज श्री सूरजमल जाति मीणा निवासी गुढागोपाल जी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   1/2. नूरका बेवा श्री सूरजमल जाति मीणा निवासी गुढागोपाल जी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   1/3. बाबू गोद पुत्र नारायण जाति मीणा निवासी गुढागोपाल जी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 31.01.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.12.1993 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट (मृतक) सूरज मल ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वादपत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गुढागोपाल जी में नये खसरा नम्बर 436 रकबा 15

बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी एवं उसके मृतक भाई नारायण के संयुक्त खाते में दर्ज थी लेकिन उक्त आराजी पर वादी का ही सम्पूर्ण संयुक्त खाते की भूमि पर कब्जा काश्त था । वर्ष 1970 के बाद से प्रतिवादी संख्या 01 को पुष्पा ने नारायण की मृत्यु के बाद जाति की रीति–रिवाज के अनुसार हिन्दू रीति से गोद लिया था । वादी उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी खातेदार कृषक हो गया है तथा काश्तकारी अधिनियिम के प्रावधानों के अनुसार भी वादी ही वादग्रस्त आराजी का एकमात्र खातेदार कृषक है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह उक्त भूमि पर अपने आपको खातेदार घोषित करावे ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे व राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम खातेदार के रूप में इन्द्राज किया जावे व प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह भूमि को हस्तान्तरित नहीं करे और वादी को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करें एवं धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पूर्ण लाभ वादी को दिलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.12.1993 के द्वारा वाद वादी स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 07.12.1993 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी कम 1 व 2 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्टगण को उक्त वाद की कोई सूचना नहीं थी । अपीलान्ट को सम्मन की तामील नहीं हुई । सम्मन की सूचना नहीं होने से अपीलान्ट अपनी उपस्थिति नहीं दे सके । सम्मन पर फर्जी अंगूठा कराकर सम्मन की तामील करवायी गई है । अपीलान्ट ने कभी भी सूरजमल के बाद में किसी सम्मन व नोटिस पर अंगूठा निशानी नहीं की है । अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है । बाबू ने प्रस्तुत वाद से पूर्व एक अन्य संख्या 156/1992 पेश कर रखा है जिसमें अपीलान्ट द्वारा जवाबदावा भी प्रस्तुत कर दिया गया है । मृतक सूरजमल ने रेस्पोडेन्ट कम 1/3 बाबू से मिलीभगत करके फर्जी तामील करवाकर वाद एकपक्षीय रूप से डिक्री करवा लिया । वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान में रिसीवर नियुक्त है इस तथ्य को भी प्रतिवादी बाबू ने छुपाया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.12.1993 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया था जिसका न्यायालय हाजा द्वारा 11.12.2019 के द्वारा निर्णय पारित करते हुए धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, नैनवा के न्यायालय में एक दावा मृतक वादी सूरजमल ने प्रकरण संख्या 17/1993 हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था इसके सम्मन अपीलान्ट को नहीं मिले । मिली भगत करके तामील करवा दिये गये जिसके आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दावा डिक्री किया गया और इसी आराजी के बाबत् रेस्पोडेन्ट बाबूलाल ने एक दावा सन् 1992 में अपीलान्टगण के खिलाफ पेश किया है जिसमें स्वयं को नारायण का गोदपुत्र अंकित कर खातेदारी चाही है जो परीक्षण न्यायालय में लम्बित है । उस दावे में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश प्रार्थना पत्र में रिसीवर के आदेश को सही मानते हुए माननीय राजस्व मण्डल के द्वारा निगरानी खारिज की गई है । सूरजमल की मृत्यु सन् 1995 में हुई है उनके दो पुत्र रामरतन और बाबू व पत्नी नूरका बाई हैं । फर्जी अंगूठा लगाकर जो सम्मन की तामील करवायी गई उसके लिए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवायी गई है जिसमें कोई में चालान पेश हो चुका है । अन्य दावे में अपीलान्ट के द्वारा जवाबदावा पेश किया जा चुका है और प्रकरण विचाराधीन है । बाबू एक तरफ तो स्वयं को नारायण का गोदपुत्र बताता है और दूसरी तरफ सूरजमल का पुत्र बनकर अपने पक्ष में नामान्तरकरण खुलवाता है । संयुक्त खाते की आराजी में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार दी गई जो विधि – विरूद्ध है । अपीलान्टगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय और डिक्री पारित की गई है जो त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.12.1993 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 09 नियम 13 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया था उसके उपरान्त यह अपील पेश की है और अधीनस्थ न्यायालय में पेश आदेश 09 नियम 13 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को विड्रो किया है । जब आदेश 09 नियम 13 का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया था तो अपील पेश करने का अधिकार अपीलान्ट को नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान की और आरआरटी 2019 (2) पेज 1354 के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार प्रदान किया जाना विधि सम्मत माना है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.12.1993 बहाल रखा जावे ।

10. विद्वान् रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

11. हमने रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में उपखण्ड अधिकारी, नैनवा की आदेशिका दिनांक 21.03.2016 और दिनांक 13.04.2016 की प्रमाणित प्रति पेश की है और उपखण्ड अधिकारी, नैनवा के न्यायालय में पेश दावा संख्या 17/93 में पेश किये गये प्रार्थना पत्र संख्या 35/2016 की प्रमाणित प्रति पेश की गई हैं । उक्त दस्तावेजात न्यायालय में पेश किये गये दावे एवं प्रार्थना पत्र की एवं आदेश की

प्रमाणित प्रतियॉ हैं और प्रकरण से सम्बन्धित हैं । अतः न्यायहित में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

12. इसके अलावा न्यायालय हाजा की पत्रावली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 05.04.2016, न्यायालय में पेश अंतिम रिपोर्ट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश इस्तगासा, वसीयतनामे की फोटो प्रति, एफएसएल रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति, न्यायालय के द्वारा जारी नोटिस की प्रमाणित प्रति, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 14.10.2019 की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई हैं । ये समस्त दस्तावेज अपीलान्ट के द्वारा पेश किये गये हैं ।

13. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी सवंत् 2022 से 2025 प्रदर्श– पी–1 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 69 की वादग्रस्त आराजी नारायण एवं सूरजमल के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । नकल मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– पी–2 संलग्न है, नकल जमाबन्दी संवत् 2028–2047 प्रदर्श – पी–3 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 50 में कुल 05 किता की 27 बीघा 02 बिस्वा भूमि नारायण व सूरजमल पिसरान रामचन्द्र के खातेदारी में दर्ज है । प्रदर्श– 4 रसीद की प्रति है ।

14. वादी की ओर से बयान सूरजमल पीडब्ल्यू–1, श्योजी लाल पीडब्ल्यू–2, किशन पीडब्ल्यू–3, फूंदीलाल पीडब्ल्यू–4 कराये गये हैं ।

15. अधीनस्थ न्यायालय में वादी सूरजमल के द्वारा यह कथन करते हुए हक घोषणा का दावा पेश किया गया है कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाते में दर्ज है । उनके भाई नारायण की मृत्यु हो चुकी है । संवत् 2011 से ही वादी का इस आराजी पर कब्जा है । नारायण की मृत्यु सन् 1963 में हुई है कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादी इस आराजी का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही करते हुए प्रतिकूल कब्जे के आधार पर दावा वादी डिक्री किया है । जहॉ तक प्रतिकूल कब्जे का प्रश्न है वादी के दावे के अनुसार वादी स्वयं और उनके भ्राता नारायण वादग्रस्त आराजी के संयुक्त खातेदार थे और संयुक्त खाते की आराजी में एक सहखातेदार का कब्जा दूसरे सहखाते के खिलाफ प्रतिकूल नहीं होता है वरन् उसकी आरे से माना जाता है । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायलाय ने वादी को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित करने में त्रुटि की है । इन तथ्यों के आधार पर विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा उद्धरत नजीर आरआरटी 2019 (2) पेज 1354 यहॉ चस्पा नहीं होती है । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में एक तरफा डिक्री पारित की गई है । अपीलान्ट के कथनानुसार उन्हें सम्मन की तामील नहीं करवायी गई थी । ऐसी स्थिति में हम इस प्रकरण में अपीलान्ट को जवाबदेही एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक समझते हैं । साथ ही एक अन्य दावा अपीलान्ट के कथनानुसार प्रकरण संख्या 156/1992 इन्हीं पक्षकारों के मध्य अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार है जिसमें वादग्रस्त आराजी भी समान है । ऐसी स्थिति में दोनों प्रकरणों को समेकित करते हुए निर्णय पारित किया जाना भी उचित प्रतीत होता है ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.12.1993 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्टगण को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए दावा संख्या 156/1992 व इस दावे को समेकित करते हुए दोनों प्रकरणों में नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 23.03.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

17. निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31.1.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा